

†ध्याय-22

रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविशालय-एक सिंहावलका

पृष्ठभूमि

22.1 पुर्वास तथा रोजगार विदेशालय (डीजीआरई) जिसे अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविशालय (डीजीईटी) के रूप में जाा जाता है, एी स्थापा जुलाई, 1945 में भूतपूर्व से- 1 एी और युद्ध सेवा एी मि एी एी, एी र्यमुक्ति एी पश्चात् एी रि एी जीवा में पुर्वास एी प्रयोजार्थ एी ई थी ।

22.2 स्वतंत्रता प्राप्ति एी पश्चात् महाविशालय एी पाि स्ता से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित एी र्य भी सौपा ई था। तत्पश्चात्, 1948 एी प्रारम्भ में सभी श्रेणी एी रोज र्गार सेवा तथा 1950 में सभी एी रि एी एी प्रशि र्गार सेवाओं एी व्यवस्था एी भी महाविशालय एी एी र्य र्गार में शामिल िया ई था ।

22.3 प्रशि र्गार र्गार और ियोजा सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) एी सिफारिशों एी माते हुए रोज र्गार एी र्गारियों तथा औद्योगि र्गार प्रशि र्गार र्गार संस्थाओं (आईटीआई) का प्रशासिक ियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासों को केद्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया ा था।

22.4 संगठ की लागत पर होंे वाले खर्च का 60 प्रतिशत केद्र द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा 31.03.1969 तक वहा किया जाता रहा। जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में हुई बैठक में लिए गए िर्णय के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बद एी रा दी ई।

22.5 प्रत्ये एी एी मि एी पंचवर्षीय योजा एी साथ एी द्र तथा राज्यों में रोज र्गार सेवा और प्रशि र्गार र्गार सेवा एी एी र्य एी लापों में विस्तार होता रहा है । अ ईे इस्त, 2005 एी अत त एी एी र्य एी र रहे रोज र्गार एी र्गारियों एी एी ल सं र्गार या 947 (82 विश्व विद्यालय रोज र्गार सूचा एवं मा र्गार दर्शा ब्यूरो सहित) थी तथा औद्योगि र्गार प्रशि र्गार र्गार संस्थाओं (सर एी री तथा र्गार सर एी री दोों)

एी एी ल सं र्गार या 5114 थी, जिा एी सीटों की क्षमता 7.42 लाख थी।

22.6 महाविशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण/संयुक्त सचिव भारत सरकार महाविशालय के प्रमुख हैं। महाविशालय के संगठनात्मक ढाँचे में रोजगार विदेशालय, प्रशिक्षण विदेशालय तथा सचिवालय विंग ामक तीा मुख्य विंग हैं।

उत्तरदायित्व

रोजगार सेवा

22.7 राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु योजा एवं कार्यक्रमों का िर्माण करा।

22.8 राज्यों में रोजगार सेवा के कार्य में समवय स्थापित करा।

22.9 रोजगार अधिकारियों के लिए ियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करा तथा रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री का विकास करा।

22.10 एक सतत् कार्यक्रम के तहत राज्यों में रोजगार कार्गारियों की ितियों, प्रक्रियाओं अथवा कार्य पद्धतियों का मूल्यांका करा, ताकि रोजगार सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह दी जा सके तथा राष्ट्रीय ितियों, माकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्गारया सुिश्चित किया जा सके ।

22.11 कुछ विरिदिष्ट क्षेत्र जहां भर्ती काफी संख्या में अपेक्षित है वहां अधिशेष व कम कार्मिकों के समायोजा हेतु एक केद्रीय एजेसी उपलब्ध करा।

22.12 संगठित क्षेत्रों एवं रोजगार कार्गारियों के लिए श्रम बाजार सूचा का संकला एवं प्रचार करा तथा समा रिपोर्टिंग प्रक्रिया िर्धारित करा।

22.13 बेरोजगार युवाओं से उकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त आजीविकाओं के चाव एवं योजा बाा के लिए रोजगार कार्गारियों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचा एवं मार्गदर्शी ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स) के माध्यम से दिए

जो वाले व्यावसायिक मार्गदर्शक एवं कैरियर परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करा।

22.14 विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करा तथा उनका आर्थिक पुर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करा।

22.15 देश में रोजगार स्थिति को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्य में समन्वय करा तथा उसे परामर्श करा।

22.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शक एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)(मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों में) दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त अर्ध-कुशल तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कुशल कामगार होते हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में, यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तो इस मामले में रियायत का प्रावधान है।

22.18 राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से सामान्य गतिविधियों, माकों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

22.19 आदेशकों का प्रशिक्षण, व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।

22.20 इसके प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से महिलाओं के प्रशिक्षण सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

22.21 व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुसंधान तथा आदेशक मन्त्रालय के विभाग।

22.22 व्यवसाय प्रशिक्षणों के संबंध में शिक्षण अधिनियम 1961 के अंतर्गत।

सांविधिक उपबंध

22.23 रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों के अतिरिक्त अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उस अंतर्गत बाए अधिनियम।

22.24 शिक्षण अधिनियम, 1961 तथा उस अंतर्गत बाए अधिनियम।

रोजगार सांविधिक अधिनियम तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित अधिनियम

रोजगार सांविधिक अधिनियम

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह
 - राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एसीवीटी) सांविधिक गिकाय
 - केंद्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी)
- उपलब्ध आधारभूत संरचना

रोजगार सेवा

राज्य सरकारों के पास

- भारतवर्ष में 947 रोजगार कार्यालय (जिमें विभागों के अंतर्गत 43 विशेष रोजगार कार्यालय शामिल हैं)।
- विभिन्न राज्यों के 38 रोजगार कार्यालयों में विभागों के 38 व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चले रहे हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत रोजगार विद्यालय, राज्यों के राजधानी में स्थित हैं।

राज्य सरकारों के पास

- 19 राज्यों में विभागों के अंतर्गत 20 व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र स्थित हैं। (3 अभी स्थापना के चरण में हैं)
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शक केन्द्र।
- एक केंद्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था (सरटस), आई दिल्ली में स्थित है।
- आई दिल्ली में रोजगार विद्यालय के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार कार्यालय।

आधारित प्रशिक्षण प्रदाा करो के उद्देश्य से विद्यमा व्यवसायों को संशोधित किया गया, पुराे व्यवसायों को स माप्त कर दिया गया व ाए व्यवसाय आरम्भ किए गए।

22.37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविशालय के अधीा 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं (एटीआई) से सम्बद्ध 6 आदर्श प्रशिक्षण संस्थाओं (एमटीआई) तथा एक केद्रीय प्रशिक्षण संस्था(सीटीआई) के माध्यम से 22 व्यवसायों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदाा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था (आरवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था (आर वी टी आई) भी महिला व्यवसाय में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदाा कर रहे हैं।

22.38 ंल प्रशिर्ा अवधि ंाल ंिभ ंिा 70% व्यावहारि ं प्रशिर्ा हेतु निर्धारित िा ंिया है। व्यवसाय सिद्धात, ं र्यशाला ंिा ंा व विज्ञाा, इंजीनियरिं ंिा ड्राईं ंिा तथा सामाजि ं अध्यया (जिसमें सूचा प्रौद्योिं ंिा पर माडयूल भी शामिल है) से संबंधित विषयों पर सैद्धांति ं प्रशिर्ा प्रदाा िा जाता है।

22.39 उद्यो ंिा ंिा ं शैल संबंधी बदलती हुई आवश्यक ं ताओं ं अरूप प्रशिर्ा माडयूलस ंे पुाः आ ंूल बााे ं लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविशालय के अधीा हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, तथा चौद्वार स्थित 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (एमआईटीआई) में माडयूलर पद्धति पर शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदाा किया जाता है।

शिर्ा प्रशिर्ा योजा

22.40 जैसा िा शिर्ा अधिायम ं अंत ंिा ति निर्धारित िा ंिया है प्रशिर्ा हेतु आवश्यक ं मूलभूत सुविधाओं वाले सार्वजनि ं तथा निजी दोां िेत्रों ं नियोज ंे ं लिए यह आवश्यक ं है िा वे प्रशिर्ाओं ंे आुबंधित ं रें। अधिायम ं अंत ंिा 254 उद्यो ंिा समूहों ंे शामिल िा ंिया है तथा ल ंिभ ंिा 20853 प्रतिष्ठा प्रशिर्ाओं ंे आुबंधित ं रते हैं।

22.41 32 व्यवसाय समूहों में 153 व्यवसायों को व्यवसाय शिक्षुओं हेतु ामोद्दिष्ट किया गया है। 30.6.2005 की स्थिति

के आुसार 230413 उपलब्ध प्रशिक्षण सीटों की तुलाा में 164653 शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

22.42 सातकों एवं तक्रीशिया शिक्षुओं हेतु 102 तथा तक-रीशिया(व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिए 95 विषय क्षेत्रों को ा मोद्दिष्ट किया गया है। इा श्रेणियों के लिए विद्यमा 82154 सीटों में से दिांक 30.6.2005 तक 38828 सीटों का उपयोग कर लिया ंिया है। अय ब्यौरा अध्याय 29 में दे र ा जा स ं ता है।

शिल्प आुदेश ं प्रशिर्ा योजा

22.43 व्यावसायि ं िरमताओं ं उच्च मा ं िं त ं पहुंचो में प्रशिर्ा िर्थियों ं सहायतार्थ ंिु ात म ं ं शैल वि ं सित ं रो हेतु अर्हताप्राप्त प्रशिर्ा ं मूल आधार हैं। िा सी भी सफल प्रशिर्ा प्र ंाली हेतु प्रशिर्ा एवं पुाः प्रशिर्ा विवेचात्म ं तत्व है। उ ंी रोज ंे पर ं ता सुनिश्चित ं रो तथा उ ं प्रशिर्ा से ं र्य अथवा पुाः प्रशिर्ा ंी ओर उमु र ंा हों ं लिए यह महत्वपू ंे है। वर्तमा वर्ष में स म ंे देश से ंूल 1050 प्रशिर्ा ंे ंे 5 उच्च प्रशिर्ा संस्थाओं तथा आुदेश ंे हेतु ंे द्रीय प्रशिर्ा संस्था ंे माध्यम से 27 व्यवसायों में प्रशिर्ा ित िा ंिया। ब्यौरा अध्याय-30 में दिया ंिया है।

उच्च व्यावसायि ं प्रशिर्ा योजा

22.44 उच्च प्रशिर्ा ं र्य ं म ंे माध्यम से बदलती हुई प्रौद्योिं ंिा व ं शैल आवश्यक ं ताओं ं आुसार व्यक्ति ंे ं शैल व िरमताओं में सुधार सुनिश्चित होता है। इससे ं ाम ंे ारों ंा व वैयक्ति ं व आजीवि ंा वि ं ास सुनिश्चित होता है जिस ंे परि ं ामस्वरूप ंूल उत्पाद ं ता व आय में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य से, वर्तमा वर्ष में 6 उच्च प्रशिर्ा संस्थाओं तथा 16 औद्योिं ं प्रशिर्ा संस्थाओं ंे माध्यम से उच्च व्यावसायि ं िेत्रों में 107090 से अधि ंे औद्योिं ंे ं ाम ंे ारों ंे प्रशिर्ा ित िा ंिया। बढ़ती हुई मां ंे ंे पूरा ं रो के लिए 30 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं का विस्तार किया गया। विस्तृत ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशा में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.45 हैदराबाद एवं देहरादून में स्थित दो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशा उच्च प्रशिक्षण संस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशा के क्षेत्र में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। अब तक इन संस्थाओं द्वारा 2589 अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा अक्टूबर, 2005 तक 30688 प्रशिक्षणियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2005-06 वर्ष के दौरान 131 पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा इन संस्थाओं में 1309 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पर्यवेक्षण प्रशिक्षण/फोरम प्रशिक्षण

22.46 विद्यमान एवं सम्भावित शाप-फ्लोर फोरमों तथा तालिमों एवं प्रबंधनीयता शैक्षणिक पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में अल्पावधि/टेलर-मेड तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

22.47 इन संस्थाओं में अक्टूबर, 2005 तक 2633 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं तथा अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से 36490 फोरम/पर्यवेक्षणियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 के दौरान, इन संस्थाओं के विभिन्न अल्पावधि/दीर्घावधि पाठ्यक्रमों में 1274 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अध्यापक प्रशिक्षण, आसंधा एवं विभागीय

22.48 कार्यकारी स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अप्रयुक्त आसंधा करने तथा आदेशात्मक सामग्री एवं प्रक्षेपित/गैर-प्रक्षेपित प्रशिक्षण सहायकों का विकास, प्रसार करने के लिए जर्मा संघीय गणराज्य सरकार की तकनीकी सहायता से संस्था की स्थापना 1966 की गई।

22.49 अक्टूबर, 2005 तक केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं आसंधा संस्था कोलकाता में 16186 कर्मियों को प्रशिक्षित किया, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 156 परियोजनाओं को पूरा किया। वर्ष के दौरान, संस्था ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत

व्यवसायों की विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों की 06 आई पाठ्यचर्याओं का भी विकास किया।

22.50 संस्था ने विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केंद्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए गैर-औपचारिक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं।

आदेशात्मक मीडिया का विकास

22.51 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं शिक्षता प्रशिक्षण के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए आदेशात्मक मीडिया पैकेजों (आईएमपी) के रूप में आदेशात्मक सामग्री को विकसित करने एवं उसका प्रसार करने के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय आदेशात्मक मीडिया संस्था (गिमी) की स्थापना की गई।

22.52 01.04.1999 से गिमी को स्वायत्तता प्रदान की जा चुकी है तथा यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

22.53 अक्टूबर, 2004 तक 20 व्यवसायों के लिए अंग्रेजी में आदेशात्मक मीडिया पैकेज विकसित कर लिए गए हैं जिनमें से 18 व्यवसायों की 130 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 11 व्यवसायों के लिए आदेशात्मक मीडिया पैकेजों का हिंदी आवाद कर लिया गया है जिनमें से 11 व्यवसायों की 38 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों के लिए आदेशात्मक मीडिया पैकेजों का तमिल आवाद कर लिया गया है जिनमें से 8 व्यवसायों की 33 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों हेतु प्रश्न बैंक विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है जिनमें से 4 व्यवसायों का प्रश्न बैंक पूरा कर लिया गया है तथा टार और मशीनिस्ट व्यवसायों के लिए इस प्रश्न बैंक का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्यावसाय परीक्षा आयोजित की गई। 65 बहुगुणक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बोधदात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा 2186 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

22.54 इस संस्था ने अप्रैल 2004 से अक्टूबर 2004 तक आदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विक्रय के माध्यम से 138 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया है। केंद्रीय सार्वजनिक सेवा उद्यमों के छंटीशुदा कामगारों के लिए परामर्श, पुः प्रशिक्षण तथा उका पुः नियोजन

22.55 युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श दे, पुः प्रशिक्षित करने और उन्हें पुः नियुक्त करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग (डीओआईडी) द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय को 34 मॉडल एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में

निर्धारित किया है। योजना को रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 9 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

22.56 रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था (एवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आरवीटीआई) में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

22.57 ए वी टी आई/आर वी टी आई 1 आरम्भ से अब तक लगभग 37,376 प्रशिक्षणार्थियों को विविध पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है; इनमें 22,711 प्रशिक्षुओं को नियमित दीर्घावधि पाठ्यक्रमों व 14,665 को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

22.58 वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 3092 महिलाओं को एम एस आफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत/आरक्षण, कशीदाकारी, परिधान निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में नियमित दीर्घावधि तथा अल्पावधि/तदर्थ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

22.59 राज्य क्षेत्र में, अक्टूबर 2004 तक समेकित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 46658 प्रशिक्षण सीटों सहित लगभग 800 संस्था (218 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/गिजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 582 महिला विंग) थे। ब्योरा अध्याय 30 में दिया गया है।

मुद्दे

रोजगार से संबंधित

22.60 रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजा हेतु उत्तरदायी है और 1 ही कोई रोजगार गति तैयार करता है व कोई रोजगार सृजा योजना कार्यान्वित करता है। इसकी भूमिका समवय करो तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजा का अवलोकन करा है।

22.61 कुल रोजगार का 7 से 8 % संगठित क्षेत्र में है अर्थात् असंगठित क्षेत्र का रोजगार परिदृश्य में वर्चस्व है।

22.62 संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग स्थिर है, अर्थात् संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजा की संभावना बहुत कम है। अतः इस क्षेत्र में युवाओं हेतु नियमित वेतन रोजगार वृद्धि सीमित है।

22.63 तृतीय क्षेत्र, विशेषकर सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार सृजा हो रहा है।

22.64 लघु क्षेत्र अर्थात् सूक्ष्म, लघु उद्योगों में महत्वपूर्ण रोजगार वृद्धि हो रही है।

22.65 आजीविका परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शक पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा अद्यता एवं विश्वसनीय श्रम बाजार सूचा प्रदा करते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक पुनर्रचना व संगठित क्षेत्र में रोजगार के कम होते अवसरों के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में रोजगार कार्यालयों की सकारात्मक भूमिका हेतु पुराभिमुखीकरण की आवश्यकता।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महाविशालय
के अंतर्गत फील्ड/कार्यालय

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षण विदेशालय	रोजगार विदेशालय
1.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> उच्च प्रशिक्षण संस्था, हैदराबाद उच्च प्रशिक्षण संस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशा, हैदराबाद क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण विदेशालय, हैदराबाद 	<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, हैदराबाद असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, हैदराबाद
2.	उत्तराखण्ड		<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, गुवाहाटी असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, गुवाहाटी
3.	बिहार		<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, पटना
4.	गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, वडोदरा 	<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, अहमदाबाद विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, वडोदरा असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, सूरत
5.	हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण विदेशालय, फरीदाबाद क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, हिसार 	<ul style="list-style-type: none"> असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश		<ul style="list-style-type: none"> असूचित जाति/ असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, मण्डी
7.	जम्मू और कश्मीर		<ul style="list-style-type: none"> असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, जम्मू
8.	आंध्रप्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> फोरम प्रशिक्षण संस्था, जमशेदपुर 	<ul style="list-style-type: none"> असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, रांची
9.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> फोरम प्रशिक्षण संस्था, बंगलौर एम्प्लॉयमेंट हाई-टेक संस्था, बंगलौर क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक संस्था, बंगलौर 	<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, बंगलौर असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, बंगलौर
10.	केरल	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, तिरुआंतपुरम मार्गदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कालीकट 	<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, तिरुआंतपुरम असूचित जाति/असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, तिरुआंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, इंदौर 	<ul style="list-style-type: none"> विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केद्र, जबलपुर असूचित जाति/ असूचित जाजाति अध्यापासह-मार्गदर्श केद्र, जबलपुर

12.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्च प्रशिक्षण संस्था, मुम्बई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण विद्यालय, मुम्बई ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, मुम्बई 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, मुम्बई ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, गागपुर
13.	मणिपुर		<ul style="list-style-type: none"> ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, इम्फाल
14.	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, तुरा 	<ul style="list-style-type: none"> ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, जोवई
15.	मिजोरम		<ul style="list-style-type: none"> ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, एजवाल
16.	गगलैण्ड		<ul style="list-style-type: none"> ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, कोहिमा
17.	उड़ीसा	<ul style="list-style-type: none"> ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक प्रशिक्षण संस्था, चौद्वार 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, भुवोश्वर ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, भुवोश्वर
18.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्च प्रशिक्षण संस्था, लुधियाणा 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, लुधियाणा ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, जालंधर
19.	राजस्था	<ul style="list-style-type: none"> ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, जयपुर ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक प्रशिक्षण संस्था, जोधपुर 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, जयपुर ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, जयपुर
20.	तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्च प्रशिक्षण संस्था, चेन्नई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण विद्यालय, चेन्नई ○ केन्द्रीय आदेशक प्रशिक्षण संस्था, चेन्नई ○ केन्द्रीय आदेशात्मक मीडिया संस्था, चेन्नई 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, चेन्नई ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, चेन्नई
21.	त्रिपुरा		<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, अगरतला
22.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्च प्रशिक्षण संस्था, काापुर ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण विद्यालय काापुर ○ राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, गोएडा 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केन्द्र, काापुर ○ पुंसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्यापक-सह-मार्गदर्शक केन्द्र, काापुर

		<ul style="list-style-type: none"> ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, इलाहाबाद 	
23.	उत्तरांचल	<ul style="list-style-type: none"> ○ प्रदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हल्द्वारी ○ उच्च प्रशिक्षण संस्था- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेश, देहरादून 	
24.	पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्च प्रशिक्षण संस्था, कोलकाता ○ केद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं आसंधा संस्था, कोलकाता ○ क्षेत्रीय क्षेत्रीय शिषुता प्रशिक्षण विदेशालय, कोलकाता ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, कोलकाता 	<ul style="list-style-type: none"> ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केदर, कोलकाता ○ प्रसूचित जाति/आसूचित जाजाति अध्याप-सह-मार्गदर्श केदर, कोलकाता
25.	दिल्ली		<ul style="list-style-type: none"> ○ केद्रीय रोजगार सेवा आसंधा एवं प्रशिक्षण संस्था, ई दिल्ली ○ विकलांग व्यावसायिक पुर्वास केदर, दिल्ली ○ प्रसूचित जाति/ आसूचित जाजाति अध्याप-सह-मार्गदर्श केदर, दिल्ली
